भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4827
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं

4827. **श्री संजय उत्तमराव देशमुख:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, विशेष रूप से वाशिम यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, में महिला सशक्तिकरण तथा बाल विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत आबंटित, स्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई धनराशि का योजनावार, वर्षवार तथा जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्य में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल सरकारी सहायताप्राप्त स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान, विशेष रूप से महाराष्ट्र में सरकार द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन किए जाने हेतु स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क): मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं, जिनमें महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास योजनाएं भी शामिल हैं, के बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के

लिए उन्हें तीन व्यापक मिशनों अर्थात (1) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा, देखरेख तथा कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में शामिल किया गया है । इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(I) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** (**मिशन पोषण 2.0):** इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप–घटकों (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा, में पुनर्गठित किया गया है।

(II) **मिशन शक्ति:** इसमें महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए क्रमशः दो घटक '**संबल**' और **'सामर्थ्य'** शामिल हैं।

(i) संबल - संबल घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं जिसमें **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)** - निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और समन्वित तरीके से एकीकृत समर्थन तथा सहायता प्रदान करने, **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)** – एक 24x7x365 टोल-फ्री आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जो ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत है; **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)** – घटते लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर बालिकाओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करना; **नारी अदालत** - न्याय सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाना और विवाद के समाधान का विकल्प, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं करना।

(ii) सामर्थ्य - 'सामर्थ्य' घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं को शामिल किया गया है: **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** - केन्द्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना

है, जिसके अंतर्गत पहले बच्चे और दूसरी संतान के रूप में लड़की होने पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है; **उज्ज्वला और स्वाधार गृह (जिसका नाम बदलकर शक्ति सदन रखा गया है)** – दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है; **कामकाजी महिला छात्रावास (जिसका नाम बदलकर सखी निवास रखा गया है)** - शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं; **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केन्द्र (एनएचईडब्लू)** - राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय तालमेल की सुविधा प्रदान करना तथा **राष्ट्रीय क्रेच योजना (जिसे पालना नाम दिया गया है)** - का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाना है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य ने देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बेहतर पहुंच तथा सुरक्षा के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को एक मिशन मोड में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को समर्थन और पोषण देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना (iii) नवोन्मेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने लिए अवसर प्रदान करना (iv) तालमेल संबंधी कार्रवाई को मजबूत करना, है।

(ख) योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या जिले को सीधे निधि जारी नहीं की जाती है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के तहत जारी/उपयोग की गई निधियों का योजनावार, वर्षवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं और मिशनों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी करता है। यह किसी भी स्वैच्छिक संगठन को कोई निधि जारी नहीं करता है।

(घ) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन के लिए महाराष्ट्र में 14745 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी गई है।

*****

अनुलग्नक

श्री संजय उत्तमराव देशमुख द्वारा 'महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं' विषय के संबंध में 28.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4827 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के तहत महाराष्ट्र राज्य को जारी और उपयोग की गई निधि का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	**मिशन**	**योजना**	**जारी/उपयोग की गई निधि**					
			वित्तीय वर्ष 2019-20	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**
1.	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	166940.00	120599.00	171339.00	164617.00	169952.00	133676.78 (17.03.2025 तक)
2.	मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण योजना)		2449.63	3433.13	5467.46	7132.66	9537.68	14497.85 (25.03.2025 तक)
3.	मिशन शक्ति – संबल	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	294.03	255.80	122.68	0.00	0.00	265.00
		वन स्टॉप	137.12	159.83	144.94	65.72	189.72	0.00

		सेंटर						
		महिला हेल्प लाइन	11.68	12.52	14.53	6.15	15.33	37.80
4.	मिशन शक्ति – सामर्थ्य	शक्ति सदन (पूर्ववर्ती स्वाधार गृह और उज्ज्वला)	0.00	0.00	0.00	0.00	338.19	1016.77 (26.03.2025 तक)
		सखी निवास (पूर्ववर्ती कामकाजी महिला छात्रावास)	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00	25.55 (26.03.2025 तक)
		पालना	0.00*	0.00*	0.00*	0.00	232.15	0.00 (28.02.2025 तक)
		प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	29414.00	11311.00	9950.00	24083.00	0.00	10314.00 (24.03.2025 तक)
		राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण केंद्र	0.00*	0.00*	0.00*	0.00	921.66	0.00

*योजना शुरू नहीं हुई

*****